न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 43/2024
जी.सी.एम.एस. संख्याः— 2024/58

अपीलार्थीपक्षः—

1. बाबूलाल पुत्र श्री किशनाराम
2. रूपाराम पुत्र श्री चूनाराम
3. रूगनाथराम पुत्र श्री तगाराम

जातियान्—मेघवाल, निवासीगण— जीवराज सिंह नगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. नरपतसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—हिम्मतनगर, बालेसर जिला जोधपुर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, जलन्धर नगर, नई ग्राम पंचायत जेतसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.12.2019 जो राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 22/2018 अनवान सरपंच, ग्राम पंचायत जलन्धर नगर वगैरा बनाम बाबूलाल वगैरा में श्री तहसीलदार (भू.अ.), बालेसर जिला जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया।

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री भवानीसिंह भलासरीया (अपीलार्थी पक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब (रेस्पोडेण्टस सं. 01 व 02 की ओर से)

आदेश

दिनांक :— 04.12.2024

1. यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत, न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2018 अनवान सरपंच, ग्राम पंचायत जलन्धर वगैरा बनाम [illegible] आदेश अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, दिनांक 19.12.[illegible] विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2020 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य [illegible] नरपतसिंह, हीरासिंह वगैरा ने एक प्रार्थना पत्र, धारा 251 (सुखाधिकार) [illegible] खुलवाने हेतु दिनांक [illegible] 2018 को सरपंच ग्राम पंचायत जलन्धर नगर (प.स. बालेसर) को पेश कर [illegible] किया कि ग्राम हिम्मतनगर में देवड़ों की ढाणियों, गिरधरसिंह की ढाणीयां, हेमसिंह की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ढाणियों, सुथारों की ढाणियां, रामसिंह की ढाणियां, के करीब 50 से 60 घरों की आबादी आबाद है जो हमारे घरों का श्मशान घाट मुकजीरों की ढाणियों, पेहपसिंह नगर में बना हुआ है जो हमारे घरों से 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने उक्त रास्ते को मेघवालों की ढाणियों में बंद कर दिया है तथा उक्त रास्ता पर पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबंदी करके रास्ता अवरूद्ध कर दिया है तथा आने–जाने के लिए रोक दिया है यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट तक ले जाने का रास्तावंद हो जाने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः निवेदन है कि हमारे घरों में श्मशान घाट तक आने–जाने के लिए बंद किये गए रास्ते को तुरन्त प्रभाव से खुलवाया जावे।

3. यह कि सरपंच ग्राम पंचायत जलन्धर नगर ने उक्त प्रार्थना पत्र को 30 दिन की अवधि गुजर जाने के कारण दिनांक 25.10.2018 को तहसीलदार बालेसर को भेज दिया, जिस पर तहसीलदार बालेसर ने पत्रांक/भू.अ/2018/3294 दिनांक 31.10.2018 से पटवारी बालेसर सता को रिकॉर्ड एवं मौका देखकर रिपोर्ट मांगी। पटवारी बालेसर सत्ता ने दिनांक 4.12.2018 को मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की जिसके अनुसार मौजा जीवराज सिंह नगर में देवड़ों की ढाणियों से सार्वजनिक जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में मेघवालों व भीलों की ढाणियां के पास मौके पर पहुंचने पर पाया कि ग्राम पेहपसिंह नगर सार्वजनिक श्मशान से होता हुआ एक रास्ता खातेदारी भूमि में से चलता हुआ खसरा नम्बर 2290 तक चालू पाया गया उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है परन्तु सूचना अनुसार वक्त बंदोबस्त से चला आ रहा हैं रास्ता श्मशान एवं मीठीबेरी (पींचकी) होने से परम्परागत था परन्तु वर्तमान में कुछ समय पूर्व खसरा नम्बर 2290, 2285 व 2295 के खातेदारों द्वारा मौके पर बंद कर दिया है। खसरा नम्बर 2295 मे रास्ता के स्थान पर पत्थर खड़े कर फेसिंग कर दी गई है तथा पूर्व में चालू रास्ता बंद करना बताया। फर्द मौका मय नजरी नक्शा तैयार रिपोर्ट तहसीलदार को पेश की । जिस पर तहसीलदार बालेसर ने प्रकरण संख्या 22/2018 दिनांक 28.01.2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रत्युत्तर में 21 अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ तथा 12.3.2019 को जवाब पेश कर पटवारी द्वारा दिनांक 04.12.2018 को तैयार मौका रिपोर्ट को गलत बताया तथा कथन किया कि प्रकरण को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है, मौके पर कोई पुराना रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 2284, 2285, 2290 से 2292, 2082, 2294, 2295 व 2296 की भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है। मौके पर फसल खड़ी है। तारबंदी की हुई हैं प्रार्थीगण की ढाणियों से श्मशान घाट तक जाने हेतु पक्की/ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकार है उन्हें नाजायज तंग परेशान किया जा रहा है। अतः तहसीलदार स्वयं मौका जांच कर वैकल्पिक रास्ता की सुनिश्चिता करे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन व गलत होने से अस्वीकार किया जावे।

4. यह कि उक्त कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान प्रार्थीगण ने सार्वजनिक रास्ता खुलवाने हेतु स्थानीय विधायक, केन्द्रीय मंत्री, कलक्टर जोधपुर इत्यादि को भी ज्ञापन सौंपे है।

5. यह कि तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2019 में संधारित आदेशिका अनुसार सुनवाई तिथि दिनांक 03.04.2019, 24.04.2019, 28.05.2019, 17.06.2019 व 31.07.2019 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया परन्तु दिनांक 19.12.2019 को प्रार्थी नरपतसिंह उपस्थित रहे तथा अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया तथा उनकी अनुपस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

में अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2019 पारित किया गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में उठाए एतराजों की मौका निरीक्षण कर पुष्टि नहीं की गई। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों की रोशनी में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु पेश प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर म्याद पेश होना सुमार की जाती है।

6. यह कि तहसीलदार बालेसर ने नरपत सिंह वगैरह की रिपोर्ट व पटवारी बालेसर की मौके की रिपोर्ट को सही मानकर ग्राम जीवराजसिंह नगर के खसरा नम्बर 2290, 2285 व 2295 में से पूर्व में रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू था जिसे बंद कर दिया गया। अतः धारा 251 सुखाचार के नियम के तहत मौके पर रास्ता पुनः खोलने के आदेश दिनांक 19.12.2019 को पारित कर दिए। जिससे व्यथित होकर यह अपील दिनांक 02.03.2020 को अपीलांट्स (खातेदार) द्वारा इस न्यायालय में पेश की है।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रत्यर्थीगण से नोटिस विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस दिनांक 06.11.2024 को सुनी गई।

8. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराया तथा तर्क दिया कि धारा 251 के तहत प्रकरण को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। तहसीलदार ने ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकारिता को नजरअंदाज कर आदेश दिनांक 19.12.2019 पारित किया है जो अवैध होने से अपास्त योग्य है। इसी प्रकार धारा 251 में कार्यवाही तभी की जा सकती है जब रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो। विवादग्रस्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा न ही मौके पर चलता है तथा न ही कभी मौके पर चालु रहा है। प्रार्थीगण के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता श्मशान पर जाने हेतु उपलब्ध है। कथनों के समर्थन में गूगल मैप व फोटोग्राफ्स पेश किए है। ग्राम पंचायत जलन्धर नगर व नरपतसिंह को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रार्थी बताया है। धारा 251 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार केवल मात्र भू–धारक को ही है जिनको अपने खेतो तक पहुंचने हेतु अन्य की खातेदारी भूमियों पर से गुजरना पड़ता है। सार्वजनिक रास्तों को खोलने, चालू करने हेतु धारा 251 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2019 को अपास्त किया जावें।

9. अप्रार्थीगण श्री नरपतसिंह व ग्राम पंचायत जैतसर की ओर से विद्वान अभिभाषक ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि आचार संहिता लागू होने के कारण ग्राम पंचायत ने प्रकरण तहसीलदार को अग्रेषित किया है। तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अपीलाधीन आदेश की पालना की जा चुकी है। अतः अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावें ताकि आम जनता को सार्वजनिक रास्ता आवागमन हेतु बाधित नहीं किया जा सके।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। उभयपक्ष द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन किया तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 के विधिक प्रावधानों का गहनता से अध्ययन किया एवं उक्त प्रावधान बाबत माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों का परिशीलन किया। उक्तानुसार प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों, कानूनी प्रावधानों से यह प्रश्न उभर कर सामने आता कि क्या राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 251 के तहत रास्ते का सुखाचार प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रास्ता हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है या यह सुविधा राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के तहत् अभिलिखित केवल भू धारक (Holder of Land) को अपनी भूमि तक पंहुचने हेतु दूसरे की खातेदारी भूमि पर उपलब्ध है?

(A) उक्त प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने बाबत विधिक स्थिति इस प्रकार है :–

धारा 251 का मूल पाठ इस प्रकार है :–

251– रास्ते व अन्य सुखाधिकार के अधिकार :–

(i) उस अवस्था में जब कोई भूमिधारी (Holder of Land), जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार, या अन्य अधिकार का उपयोग कर रहा है, अपने ऐसे उपयोग में बिना उसकी सहमति के, कानून द्वारा निर्धारित प्रणाली से भिन्न तरीके से, बाधित किया जाये, तहसीलदार, इस प्रकार बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच (Summary enquiry) करने के पश्चात् बाधा के हटाये जाने की या बंद किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने की आज्ञा दे सकेगा, चाहे इस प्रकार पुनः उपभोग किये जाने के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जावे.........

उक्त विधिक स्थिति से स्पष्ट है कि धारा 251 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र केवल भूमि धारक ही पेश कर सकता है। ग्राम पंचायत व अन्य किसी को सार्वजनिक रूप से रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तथा ऐसे प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को धारा 251 में प्राप्त नहीं है। सार्वजनिक रास्ता को खुलवाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जाना चाहिए।

(B) उक्त सम्बन्ध में कुछ न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :–

(i) जगदीश एवं अन्य बनाम – General people Gram panchayata Batoda & ors. 1994 RRD- 589. में पैरा– 3 में यह अभिनिर्धारित किया है कि– Section 251 only authorises the Tehsildar whose power are also delegated to the Gram panchyat to remove only such obstruction created by any other Khatedar of land through whose land there was any existing right to way which was being enjoyed by such other Khatedar but the G.P or the tehsildar has no right or jurisdiction to remove any obstruction which has been created by a holder of any in the way which does not lead to the land of any holder of land or leads to non- agricultural lands. इस प्रकार धारा 251 में प्रार्थना पत्र सिर्फ भूमि का धारक (Holder of Land) ही दायर कर सकता है।

(ii) हीरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1996 RRD 298) में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 251 के तहत सिर्फ भूमि का धारक ही प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। (पैरा–8)

(iii) 2002 RRD 571 रामनिवास बनाम ग्राम पंचायत कोदेसर व अन्य में पैरा–5 में यह व्यवस्था दी है कि धारा 251 में भूमि धारक द्वारा ही निजी रास्ते के अधिकार के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। भूमि धारक वह व्यक्ति हो सकता है जो खातेदार काश्तकार हो या उसके परिवार का सदस्य हो या खातेदार की तरफ से अधिकृत व्यक्ति हो जिसके अनुसार काश्त करने के लिए जिसे भूमि दी गई हो।

(iv) 2002 RRD-747 चन्द्रकला बनाम ग्राम पंचायत कुडली व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि केवल भूमिधारक को अपने खेतों पर जाने के लिए पूर्व में अस्तित्व के निजी रास्ते जो किसी अन्य भूधारकों द्वारा बंद कर दिया गया हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

उसे खुलवाने की कार्यवाही की जा सकती है। अधिनियम की धारा 251 सार्वजनिक रास्ता देने या खुलवाने या कायम करने का अधिकार नहीं देती है। (पैरा–6)

(v) 1995 RRD-469- चन्दगीराम बनाम बनवारी में यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि को धारण करने वाले का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि वास्तव में भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज हो तथा रास्ते के अधिकार से मतलब है ऐसे रास्ते का अधिकार जो कि भूमि पर जाने का हो, न कि एक आम रास्ता अर्थात् वह व्यक्ति जो कि अपनी भूमि पर दूसरे की भूमि पर से रास्ता क्लेम करता है वह व्यक्ति यहां पर आता है न कि आम जनता।

(vi) इसी प्रकार – 1988 RRD (खेमराज बनाम राज्य) में यह स्पष्ट किया है कि धारा 251 के तहत Right of way means Right of way to respective holdings of applicants and does not relate to a public through fare from one village to another (पैरा–5)

(vii) इसी प्रकार 2003 RRD 536 रामचन्द्र बनाम श्यामाराम में भी यह तय किया कि केवल भूमि धारक ही रास्ते के सुखाधिकार के लिए धारा 251 में आवेदन कर सकता है तथा ग्राम पंचायत व अन्य को धारा 251 के तहत सार्वजनिक रास्ते हेतु आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है।

(viii) 2019 RRD 433 अजयकुमार V/s जोधसिंह में माननीय राजस्व मंडल ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रावधित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251 के तहत आमजन रास्ता खुलवाने की मांग नहीं कर सकते,केवल मात्र प्रभावित पक्षकार अथवा खातेदार जिसे रास्ते की आवश्यकता हो, उसके द्वारा ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी आशय का सिद्धान्त न्यायिक दृष्टान्त 2017 RRT (1) पेज– 396 पर उद्धरित है। (द्वारका प्रसाद V/s बाबूलाल वगैरा–पैरा–8), 2010 RRD 507 मूलचंद बनाम प्रभू, 1975 RRD- 401 (श्रीराम बनाम ग्राम पंचायत–हमीरवास बाडा)

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित सिद्धान्तों अनुसार धारा 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र पेश करने का अधिकार केवल मात्र भूमि धारक (Holder of Land) को ही उपलब्ध है, जिसको अपनी जोत तक पंहुचने हेतु अन्य टिनेन्ट की भूमि पर से गुजरना पड़ता है तथा ऐसे सुखाचार में बाधा कारित करने पर भू–धारक बाधा कारित करने वाले भूमि धारको के विरूद्ध आवेदन तहसीलदार को देगा।

11-धारा–251 के तहत तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियों का 45 दिन तक के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या F5(21) Rev/Gr-IV/80/34 दिनांक–4.9.1982 से प्रत्यायोजित की थी परन्तु राज्य सरकार ने ही अधिसूचना क्रमांक – F3(2) Rev-VI/2003/pt/18 दिनांक –6.7.2009 (राजस्थान राजपत्र भाग– IV- C (II) दिनांक 14.7.2009 में पृष्ठ 151 पर प्रकाशित) के द्वारा ग्राम पंचायत को उक्त अधिसूचना दिनांक – 04.09.1982 से दी गई शक्तियों को प्रत्याहरित (Rescinded) कर दिया है। अतः दिनांक 14.7.2009 से ग्राम पंचायत को धारा 251 R.T. Act के तहत कार्यवाही करने की शक्तियां नहीं है।

12- उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में अपील के तथ्यों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण नरपतसिंह वगैरा ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि वे किसी विशेष कृषि भूमि के भू– धारक है जिनका सर्वे नम्बर, रकबा, वगैरा की पुष्टि हेतु कोई अभिलेख पेश नहीं किया है, बल्कि इन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि उन्हें गांव की ढाणियों से श्मशान भूमि तक पंहुचने हेतु सार्वजनिक रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

चाहिए, जो अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2285, 2290 व 2295 में से गुजरता है। प्रार्थीगण तथा पटवारी हल्का ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 4.12.2018 में सार्वजनिक रास्ता बंद करने का उल्लेख किया तथा प्रार्थीगण की शिकायत व पटवारी की मौका रिपोर्ट में अंकित कथनों को ही आधार मानकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2019 पारित किया है तथा किसी विशेष भू–धारक के सुखाधिकारों में बाधा कारित होने बाबत कोई सुसंगत तथ्य/साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही कोई गहन जांच की है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण नरपतसिंह वगैरा द्वारा श्मशान भूमि तक पंहुच हेतु सार्वजनिक रास्ता को खुलवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संख्या 22/2018 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2019 विधिक प्रावधानों व क्षेत्राधिकारिता के विपरीत होने से अवैध है तथा अवैध आदेश की पालना में की गई समस्त पश्चात्वर्ती कार्यवाही भी अवैध होने से प्रारंभतः ही शून्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2018 अनवान सरपंच ग्राम पंचायत जलन्धर नगर व नरपतसिंह वगैरा बनाम बाबूलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 22/2018 में पारित उक्त आदेश दिनांक 19.12.2019 को अपास्त किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्च वहन करें। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested